DRof 26-11-18
10-12-18

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गिर्राज प्रसाद बंसल आर.टी.एस तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
61/18	16/11/18	04/02/2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

गजेन्द्र सिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर निवासी दमदमा

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का कस्बा बयाना ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि कस्बा बयाना के खसरा न0 2345/1 रकवा 0.04 हैक्ट में से रकवा 36 वर्गमीटर किस्म भूमि सिवायचक पर सम्वत 2075 में श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर निवासी दमदमा तह0 बयाना ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस दिनांक 26.11.18 को तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा जरिये वकील उक्त अतिक्रमण के संबंध में जबाब हेतु समय चाहा गया। अतिक्रमी द्वारा अपने प्रस्तुत जबाब में यह उल्लेखित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2345 रकवा 0.03 हैक्ट. में बयाना शहर सौन्दर्यकरण के तहत आबादी विस्तार के लिए नगरपालिका बयाना ने राजाराम पुत्र हरेती जाति गूजर निवासी महमदपुरा तहसील बयाना को वाणिज्यक प्लाट की शाश्वस्त लीज डीड दिनाकं 18.11.2005 को जारी की गयी और दिनांक 19.11.2005 को उपपंजीयक कार्यालय में उक्त लीज डीड पजींबद्व की गयी अतिक्रमी द्वारा अपने जवाब में यह भी जाहिर किया गया है। कि मेरी मां श्रीमती भागो पत्नी भीमसिंह जाति गूजर निवासी दमदमा ने दिनांक 02.06.2006 को [illegible] पुत्र जब[illegible] जाटव निवासी सिघानंखेडा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया [illegible] 20 फुट यानी 22.22 वर्गगज है इस प्रकार प्रार्थी एवं प्रार्थी की मां द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अतिचार नहीं किया गया एवं नोटिस ड्राप करने का निवेदन किया गया। अतिक्रमी द्वारा प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति अपने जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक वृत कस्बा बयाना के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2019 को अतिक्रमण के संबंध में सीमाज्ञान करने हेतु एक टीम गठित की गई जिसमें की अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 14.11.2019 को स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:47:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में गठित टीम द्वारा दिनांक 14.11.2019 को सीमाज्ञान कर मौकापर्चा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मौकापर्चा एवं गठित टीम की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2345 / 1 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गैर मुमकिन अतिक्रमी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर निवासी दमदमा तह0 बयाना का मौके पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन गठित सीमाज्ञान टीम मौकापर्चा अनुसार अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने से प्रकरण को आगे चलाया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण को इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:47:21 IST
Reason: SelfAttested